धारा ..... मुकदमा नं. ..... ऑनलाईन नं. .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
14/11/2022	बहस सुनी गई। पत्रावली पर उलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी प्रारम्भ से ही गैर–खातेदारी के रूप में दर्ज रहा है। प्रार्थी को खातेदार के रूप में क्यो और कैसे दर्ज होना था यह विचारण के दौरान साक्ष्यों के आधार निर्णीत किया जाना है। मुताबिक जवाब सरकार प्रार्थी ख0नं0 267 व ख0नं0 626/268 वाके ग्राम पाडली तह0 पीपल्दा जिला कोटा पर काबिज नहीं है। अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने से अपूरणीय क्षति कारित होना भी संभावित नहीं है। प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से सरकार को राजस्व की हानि होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाहियां रोकनी पडेगी। अतः सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है। प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	